भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1570

(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केरल में मनरेगा की मजदूरी में संशोधन

1570. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अधिसूचित मजदूरी राज्य की कृषि और ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी से कम है , केरल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी दर में संशोधन करने और इसमें वृद्धि करने का विचार है;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि का औपचारिक रूप से अनुरोध किया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) मंत्रालय द्वारा केरल में मनरेगा के कामगारों को समय पर मजदूरी का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और लंबित मजदूरी के भुगतान , यदि कोई हो, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने राज्य में कामगारों की भागीदारी , महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी और आजीविका सुरक्षा पर कम मजदूरी के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान केरल के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है और तदनुरूपी मजदूरी के मद में बजट आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार , केंद्र सरकार , अधिसूचना द्वारा , अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति के लिए महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल)

में परिवर्तन के आधार पर प्रतिवर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू की जाती है।
केरल के मामले में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए केरल राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर ₹346 थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित कर ₹369 कर दिया गया है। यह मजदूरी दर में लगभग 6.65% की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारें अपने स्रोतों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती है।

(ग): अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थी कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए , भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है , जो मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए - मस्टर रोल अपलोड से लेकर एफटीओ अनुमोदन होने तक निश्चित समय सीमा को परिभाषित करती है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश सृजित करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने इस योजना के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्न शामिल हैं:

• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार

• मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित और विलंब मुआवजे के दावों के सत्यापन आदि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।

• समय पर भुगतान की निगरानी और विलंब मुआवजे के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।

• आवधिक बैठकों , निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें , मध्यावधि समीक्षा आदि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय पर भुगतान और देरी मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना।

इसके अलावा , मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): मजदूरी सीधे केंद्रीय खाते से श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका और निधियों दुरुपयोग में कमी आती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किए गए मजदूरी भुगतान के साथ लगभग 100% निधि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित की जाती है।

- आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस): एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है जहां लाभ महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के आधार का उपयोग करते हुए सीधे बैंक खातों में जमा किए जाते हैं , अधिमानतः आधार आधारित भुगतान , जिससे वितरण प्रक्रिया में कई परतें कम हो जाती है। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण , प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने , लीकेज पर अंकुश लगाकर अधिक समावेशन सुनिश्चित करने में मदद करता है जिससे अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस): कार्यस्थल पर जियो टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति कैप्चर करना उपस्थिति की सटीकता और समय पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करता है , जो मजदूरी के समय पर भुगतान में मदद करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-।। में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार , मजदूरी की मांग करने वाले मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक देरी के लिए प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से देरी के लिए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विलंब क्षतिपूर्ति नियमों को अधिसूचित किया जाता है। मुआवजे के लिए देय राशि का विधिवत सत्यापन और अनुमोदन किया जाता है, और फिर राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है।

मंत्रालय विभिन्न मंचों अर्थात मध्यावधि समीक्षा , श्रम बजट बैठकें , श्रम बजट संशोधन बैठकें , कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विलंब मुआवजे के भुगतान सहित महात्मा गांधी नरेगा (विलंब मुआवजे सहित) के कार्यान्वयन के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत केरल राज्य में मजदूरी घटक के लिए 329.42 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है।

यहां, यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी भुगतान सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निधि अंतरण आदेशों के आधार पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा देय प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद दैनिक रूप से मजदूरी भुगतान के लिए स्वीकृति जारी की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में , पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, की भारत सरकार द्वारा उचित रुप से प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों को पहले ही क्लियर कर दिया गया है (पश्चिम बंगाल राज्य के मामले को छोड़कर)।

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) जो कि एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है , जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो को कम से कम सौ दिनों के गारंटीकृत

मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि का प्रावधान करती है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है , अर्थात ग्रामीण परिवारों के लिए उस समय आजीविका का विकल्प प्रदान करता है जब रोजगार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नही होता है।

(ड.): वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक पिछले दस वित्तीय वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत केरल राज्य के लिए अकुशल श्रमिकों की निर्धारित मजदूरी दर और सृजित श्रम दिवस निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**सृजित श्रम दिवस (लाख में)**	**केरल के अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर (रुपये में)**
2015-16	741.74	229
2016-17	684.62	240
2017-18	619.59	258
2018-19	975.26	271
2019-20	802.30	271
2020-21	1023.00	291
2021-22	1059.66	291
2022-23	965.78	311
2023-24	994.59	333
2024-25	907.54	346

****